रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082020-221325
CG-DL-E-24082020-221325

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 420] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2020/भाद्र 2, 1942
No. 420] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2020/BHADRA 2, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 526(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 और धारा 469 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 (इसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के, उप-नियम (1) के, खंड (ङ) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु व्यापार के सामान्य अनुक्रम में नई वैक्सीन, औषधियों और चिकित्सा उपकरणों के अनुसंधान और विकास के क्रियाकलाप में लगी हुई कोई कंपनी निम्नलिखित शर्तों के अधीन वित्तीय वर्ष 2020-21,

2021-22 और 2022-23 के लिए कोविड-19 से संबंधित नई वैक्सीन, औषधियों और चिकित्सा उपकरणों के अनुसंधान और विकास के क्रियाकलाप कर सकेगी -

(i) ऐसे अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप अधिनियम की अनुसूची VII की मद सं. (ix) में उल्लिखित संस्थानों या संगठनों में से किसी के सहयोग से निष्पादित किया जाएगा।

(ii) ऐसे क्रियाकलाप के ब्यौरे बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित सीएसआर पर दी गई वार्षिक रिपोर्ट में पृथकतः प्रकट किया जाएगा"।

3. उक्त नियमों के, नियम 4 के, उप-नियम 1 में "अपने व्यवसाय के सामान्य कार्य के अनुसरण में किए गए कार्यों को छोड़कर" शब्दों का लोप किया जाएगा।

4. उक्त नियमों के, नियम 6 के, उप-नियम (1) में :-

(i) प्रथम परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ii) दूसरे परंतुक में, "यह और कि" शब्दों का लोप किया जाएगा।

[ई-फा.सं. सीएसआर-07/2/2020-सीएसआर-एमसीए]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

IndiaCode

टिप्पण : मूल नियम भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 129(अ), तारीख 27 फरवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए और इन्हें तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 644(अ), तारीख 12 सितंबर, 2014, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 43(अ), तारीख 19 जनवरी, 2015, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 540(अ), तारीख 23 मई, 2016 और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 895(अ), तारीख 19 सितंबर, 2018 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2020

G.S.R. 526(E).—In exercise of the powers conferred by section 135 and sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), in clause (e), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that any company engaged in research and development activity of new vaccine, drugs and medical devices in their normal course of business may undertake research and development activity of new vaccine, drugs and medical devices related to COVID-19 for financial years 2020-21, 2021-22 and 2022-23 subject to the conditions that-

(i) such research and development activities shall be carried out in collaboration with any of the institutes or organisations mentioned in item (ix) of Schedule VII to the Act.

(ii) details of such activity shall be disclosed separately in the Annual Report on CSR included in the Board's Report".

3. In the said rules, in rule 4, in sub-rule 1, the words "excluding activities undertaken in pursuance of its normal course of business" shall be omitted.

4. In the said rules, in rule 6, in sub-rule (1), —

(i) first proviso shall be omitted;

(ii) In the second proviso, the word "further" shall be omitted.

[E- F. No. CSR-07/2/2020-CSR-MCA]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 129(E), dated the 27th February, 2014 and were subsequently amended by notification number G.S.R. 644(E), dated the 12th September, 2014, notification number G.S.R. 43(E), dated the 19th January, 2015, notification number G.S.R. 540 (E), dated the 23rd May, 2016 and notification number G.S.R. 895(E), dated the 19th September, 2018.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.08.24 21:37:43 +05'30'